न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 95/24 GCMS NO 2024/91

1. अम्बालाल
2. श्यामलाल पुत्रानन जयपाल
3. रामप्रसाद देवी पत्नि अम्बालाल
4. कल्याणी देवी पत्नि अम्बालाल
5. कानजी पुत्र प्रहलाद
6. [illegible]र सिह पुत्र बृजलाल
7. [illegible]जय सिह पुत्र बृजलाल
8. रामस्वरूप पुत्र हरफूल
9. गीता पुत्री मिश्रया
10. कैलाश पुत्री मिश्रया अवकाम जाति मीना निवासीयान मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली
11. नारायण पुरी चेला गोकुल पुरी जाति गुसाई निवासी मसावता तहसील सपोटरा

अपीलांट

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र जयपाल मीना निवासी मसावता तहसील सपोटरा जिला करौली
2. पंजाव नेशनल बैक शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली जरिये शाखा प्रबंधक
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सपोटरा जरिये प्रबंधक
4. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नारोली शाखा प्रबंधक
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 31/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 14.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी अम्बालाल श्यामलाल की सह खातेदारी की भूमि खसरा न0 209 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 506 रकबा 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विस्वा, 507 रकबा 2 बीघा स्थित ग्राम मसावता है। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी अम्बालाल श्यामलाल कानजी मिश्रा एवं कजोडी बेवा प्रहलाद की सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 448 रकबा [illegible] बीघा 3 विस्वा, 543 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 544 रकबा 3 विस्वा, 706 रकबा 16 विस्वा, 714 रकबा 10 विस्वा, 925 रकबा 5 विस्वा, 927 रकबा 17 विस्वा, 929 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, 939 रकबा [illegible]5 विस्वा ग्राम मसावता मे स्थित है। कजोडी का इन्तकाल हो चुका है। कानजी उसका एक मात्र वारिस है। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी अम्बालाल,श्यामलाल,पुत्र जयपाल शेर सिह, [illegible] सिह पिसरान बृजलाल ,रामप्रसाद ,कानजी,मिश्रा एवं कजोडी की सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 68 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, 188 रकबा 3 बीघा , 491 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, 503 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, 508 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, 516 रकबा 10 विस्वा, 545 रकबा 2 विस्वा, 558 रकबा 11 विस्वा, 566 रकबा 15 विस्वा, 716 रकबा 13 विस्वा, 820 रकबा 5 विस्वा, 824 रकबा 5 विस्वा, 839 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा ग्राम मसावता मे स्थित है। तथा भूमि खसरा न0 514 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा दाखा बेवा जयपाल के नाम दर्ज है। दाखा बेवा जयपाल का निधन हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी अम्बालाल,श्यामलाल उसके वारिसान है। भूमि हाल खसरा न0 443 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा , 719 रकबा 6 विस्वा की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी शेर सिह,विजय सिह, रामप्रसाद,रामस्वरूप,श्यामलाल,प्रहलाद,मिश्रया पिसरान ग्यारसा के नाम दर्ज है। प्रहलाद का इन्तकाल हो चुका है। कानजी प्रहलाद का पुत्र है। भूमि ख0न0 519 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा,530 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, 531 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा की खातेदारी नारायणपुरी गुसाई,अम्बालाल वादी श्यामलाल,कान्जी,कजोडी,कल्याणी देवी ,कमला देवी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बैरूण्डा की भूमि हाल खसरा न0 346 रकबा 2.05, 348 रकबा 2.02 स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण अम्बालाल,श्यामलाल,दाखा की खातेदारी है। भूमि के सहखातेदारी मे बने रहने के कारण पक्षकारो मे विवाद होते रहते है। प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा करने पर इंकार किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात का हिस्से अनुसार तकासमा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 13.2.24 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार वाद पत्र दिनांक 18.11.24 को फाईनल डिक्री किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मातहत ने जल्दबाजी मे उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था तहत न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय व डिक्री मे खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जबकि वाद पत्र घोषणा का था ही नही इसके अतिरिक्त स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ मे किसी प्रकार का कोई डिक्री अपने निर्णय मे नही दी है। ना ही घोषणा का अनुतोष अपने वाद मे वादी ने चाहा है। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय से पूर्व ही मिश्रया वगै0 के मर जाने के बाद अपना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अर्थात मरे हुए पक्षकारो के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो खिलाफ कानून एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त बंटवारे का कोई अनुतोष डिक्री मे तहत न्यायालय ने अपनी इच्छा के अनुसार दिया गया है। उभयपक्षो की मौजूदगी मे तहसीलदार को बंटवारा कर बंटवारा स्कीम के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिए थी, ऐसा न करके अधिनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून काम किया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री मे भी विरोधाभास है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावे के अनुसार 4 तनकीयात कायम की गई जिनमे आराजीयात सहखातेदारी की दर्ज है। वादी के पक्ष मे तय की जाती है द्वितीय तनकी भी इसी अनुरूप निर्णित की है तथा तनकी न0 3 भी इसी अनुरूप निर्णित की है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं मा0मण्डल द्वारा पारित कई नजीरो मे स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक इश्यू पर पत्रावली मे आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना कर अपना मत पारित करना चाहिए था जो उन्होने नही किया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रकरण मे प्रतिवादी मिश्रया पुत्र ग्यारसा दर्ज रिकार्ड है जबकि मिश्रया की मृत्यु वर्ष 2021 मे दिसम्बर माह मे हो चुकी है। वादी ने प्रतिवादी मिश्रया के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। इस कारण तहत न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित की है तथा कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष मे या मृत व्यक्ति के विरूद्व कोई डिक्री पारित की जाती है तो वह शून्य है। इस बात पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है तथा इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे वाद कारण अंकित नही किया है इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज होने योग्य था फिर भी वादी का वाद पत्र जल्दबाजी मे डिक्री किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व तथ्यो व अनुतोष मे काफी फर्क है। तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है उसमे भी आपस मे फर्क है तथा विचारण न्यायालय को प्रकरण की वारिकियो मे जाकर राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य की तुलना कर अपना मत पारित करना चाहिए था जो उन्होने नही किया। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी मे निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात होने से विधिवत रूप से कब्जा एवं मौके के अनुसार की बंटवारा करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन किये जाने के उपरान्त तथा तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दिये जाने पर ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे कई खातेदारो के हक मे नामा0 स्वीकृत हो चुका है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो अनावश्यक वाद वाहुलता बढेगी। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत दावे मे विधि के प्रावधानो के तहत मृतक सहखातेदारो के विधिक वारिसान को भी पक्षकार बनाया जाकर वाद पत्र पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादीगण के समान हिस्से निहित होने को अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावे मे माना है। अपीलांट अधिवक्ता का बार बार कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिश्रया के फौत हो जाने के उपरान्त मृतक के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। यदि अपीलांट को मिश्रया के फौत होने की जानकारी थी तो उनको अधिनस्थ न्यायालय के ध्यान मे लाया जा सकता था। जिसका दायित्व प्रतिवादीगण को भी हासिल है। मृतक के विधिक वारिसान का वादग्रस्त आराजीयात मे अपना हिस्सा निहित है। जिनको बंटवारे मे हिस्सा प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा स्कीम पर सहमति दिये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम अनुसार आपसी सहमति के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया गया है। इस प्रकार अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दिये जाने के उपरान्त भी अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है। जो चलने योग्य नही है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात है। इस तथ्य को अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावे मे भी माना है। रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे कुछ खातेदारो के हक मे नामा0 तस्दीक हो चुका है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा मिश्रया फौत हो गया था उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिश्रया दिनांक 8.12.21 को फौत हुआ है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री व निर्णय दिनांक 18.11.24 को पारित की गई है। इस प्रकार किसी मृतक के विरूद्व या पक्ष मे पारित डिक्री प्रारंभतय शून्य एवं प्रभावहीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से मृतक के विरूद्व डिक्री पारित की है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए पुनः बंटवारा स्कीम हिस्से अनुसार प्राप्त की जाकर तथा

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई [illegible]

बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है। साथ ही रेस्पो0/वादी के अधिवक्ता के कथन अनुसार यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे किसी खातेदार के पक्ष मे वादग्रस्त आराजीयात के बाबत नामा0 तस्दीक हो चुका है तो उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पुनः अंतिम डिक्री से पूर्व नही किये जाने हेतु तहसीलदार सपोटरा को पाबंद किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 31/20 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.24 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे हिस्से अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार कराई जाकर, प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार सपोटरा को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.24 की पालना मे यदि किसी खातेदार के हक मे नामा0 तस्दीक हो गया हो तो उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन जब तक नही किया जावे जब तक की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अंतिम डिक्री पारित नही की जावे। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 14.11.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

ना करौली